फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम राज्य वगै०

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय

संख्या 76/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
27/08/2019	पत्रावली पेश, श्री 1 वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र व समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने तथा बहस को मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा०का० काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत दर्ज होकर नकल नियमानुसार हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [illegible signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जि.—जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बईजलास श्री ललित मीना R.A.S.

मुकदमा नम्बर – 76/2018   दायर दिनांक 06.06.2018

शंकरलाल पुत्र रामनाथ (दौराने वाद फौत)
1. बबूलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल शर्मा
2. गजानन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल शर्मा

वादीगण

बनाम

रामू पुत्र रामनाथ
भगवानसहाय पुत्र रामनाथ
हरसहाय पुत्र रामनाथ
रामधन पुत्र रामनाथ
छाजू पुत्र रामनाथ
रामकरण पुत्र रामनाथ
समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम गुढावास तहसील आंधी जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट:– वादीगण
2. श्री बी0एल0शर्मा एडवोकेट :– प्रतिवादीगण 1 ता 6

(दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय   दिनांक 27.08.2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एडवोकेट रामकरण शर्मा द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सगे भाई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी कृषि भूमियां खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 69 रकबा 1.62है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 1.47है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.8200है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.91है0 वाके ग्राम गुढावास नेवर पटवार हल्का नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 196 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा थे एकीकरण संवत 2022 की जमाबन्दी में रामनाथ पुत्र हरला हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड रहा है जिसके हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 1.1800है0 है। रामनाथ पुत्र हरला के नाम दर्ज 1/9 भूमि रामनाथ के सातो पुत्रों के नाम दर्ज खातेदारी होनी चाहिये थी जो ना होकर राजस्व कर्मचारियों की गलती से रामेश्वर उर्फ रामू, भगवाना, हरसहाय, रामधन, छाजू, रामकरण पि0 रामनाथ हि0 1/9 दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्त किया जावें। ग्राम गुढावास नेवर में खातेदार रामनाथ पुत्र हरला के फौत होने पर विरासती नामान्तकरण उसके सभी वारिसों के नाम सही रिकार्ड दर्ज है तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज जमाबन्दी करने से रह गया। उक्त वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा है जिसमें पृथक–पृथक रूप से रामनाथ पुत्र हरला के वारिसानों का हिस्सा वादी का 1/63 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का पृथक–पृथक हिस्सा 1/63–1/63 स्थित है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हिस्सा 1/9 सही दर्ज है किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

राजस्व कर्मचारियों की गलती से रामेश्वर उर्फ रामू, भगवान, हरसहाय, रामधन, छाजू, रामकरण पि0 रामनाथ हिस्सा 1/9 दर्ज कर दिया गया जबकि वादी शंकरलाल खातेदार/प्रतिवादीगणो का सगा भाई है तथा रामनाथ पुत्र हरला के फौत होने पर उसका विरासती नामान्तकरण उसके सभी वारिसो के नाम खोला गया तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 67 खसरा नम्बर 5, 1857, 75, 205, 219 में विरासती नामान्तकरण अनुसार खातेदारी दर्ज कर दी गयी तथा मद सं0 1 में वर्णित वादांकित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी, जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जावें और राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रिकार्ड प्रतिवादीगणों की जगह वादी व प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज करवाने की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करवाया जावें। अतः खाता सं0 51 खसरा नम्बर 69 रकबा 1.62है, खसरा नम्बर 84 रकबा 1.47है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.8200है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.91है वाके ग्राम गुढावास नेवर, पटवार हल्का नेवर के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज अंकन रामेश्वर उर्फ रामू, भगवाना, हरसहाय, रामधन, छाजू, रामकरण, पि0 रामनाथ की जगह शंकरलाल, रामेश्वर उर्फ रामू, भगवाना, हरसहाय, रामधन, छाजू, रामकरण, पि0 रामनाथ दुरूस्त किया जाकर वादी का हिस्सा 1/63 एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 का हिस्सा पृथक–पृथक 1/63–1/63 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती के आदेश दिये जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाई जावें।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट श्री बी0एल0 शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश नही किया। अतः वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील उभय पक्षों की बहस को सुनी गई। पत्रावली का अधोपात अवलोकन व मनन किया गया। दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुढावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी में स्थित विवादित आराजी कृषि भूमियां खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 69 रकबा 1.62है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 1.47है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.8200है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.91है0 मे में वादी को हिस्सा 1/63 एवं प्रतिवादी सं0 01 लगायत 6 को पृथक–पृथक हिस्सा 1/63–1/63 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में बाद इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ